न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 206/2010/(2010/00028) जिला–अजमेर

अशोक कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति माली निवासी बांसेली बेर, उप तहसील पुष्कर तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. उर्मिला पुत्री कन्हैयालाल पत्नी मोहनलाल जाति माली निवासी यादव धर्मशाला छोटी बस्ती पुष्कर तहसील व जिला अजमेर।
2. सुर्मिला पुत्री कन्हैयालाल पत्नी भागचन्द जाति माली निवासी बांवेली बेर, छोटी बस्ती पुष्कर तहसील व जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर दिनांक 21–10–2009
अन्तर्गत अपील संख्या 08/2006

————

उपस्थित– 1. श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 31.10.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ग्राम बांसेली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 812, 813, 833, 816, 814, 834 की भूमि पर अपना अधिकार होना बताते हुए नामान्तरकरण संख्या 126 निरस्त करने की प्रार्थना की तथा विवादग्रस्त आराजियात बाबत एक वाद सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष लम्बित होना बताया है। उक्त प्रकरण की जानकारी प्रत्यर्थी संख्या 1 को पूर्व से ही थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 का विवादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा नहीं होने का कथन किया। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2009 द्वारा अपील

स्वीकार कर तहसीलदार, अजमेर को प्रकरण सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहते लम्बे समय तक कार्यवाही नहीं होने के कारण अपीलार्थी खाने कमाने हेतु गुजरात व मध्यप्रदेश रहा तथा दिनांक 6–9–2010 को प्रार्थी अजमेर आया तब दिनांक 7–9–2010 को अभिभाषक से सम्पर्क किया तो प्रार्थी को अभिभाषक द्वारा अवगत कराया कि उन्होंने बताये पते पर सूचना प्रेषित की थी परन्तु प्रार्थी ने बताया कि वह पुष्कर में निवास नहीं कर रहा था जिस कारण सूचना नहीं हो सकी। अभिभाषक ने उक्त आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की सलाह दी जिस पर उक्त आदेश की तत्काल प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 7–9–2010 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तत्पश्चात नायब तहसीलदार पुष्कर से 20–12–2010 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अपील अपील तैयार करवाकर श्रीमान् के न्यायलय में दिनांक 24–12–2010 को पेश की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य–मुख्य तर्क दिये है कि विवादग्रस्त आराजियात अपीलार्थी के पिता श्री कन्हैया लाल की कब्जे काश्त की थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुश्तैनी भूमि में अशोक कुमार का हक कन्हैयालाल के जीवनकाल में ही था। श्री कन्हैयालाल द्वारा धारित भूमि में से 1/2 हिस्सा अपीलार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के अनुसार ही था तथा कन्हैयालाल की मृत्यु दिनांक 1993 से पूर्व होना अभिलेख से साबित है इस प्रकार अपील में किये गये

अभिवचनों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी अजमेर के न्यायालय में उक्त अपील संधारण योग्य नहीं होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायलय ने तहसीलदार अजमेर को सुनवाई का आदेश पारित कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जिस नामान्तरकरण के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की उक्त नामान्तरकरण मात्र अपीलार्थी की माता भगवती देवी के विरासत को स्वीकार किया जाना था। इस प्रकार पूर्व नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 18–5–93 को कभी चुनौती नहीं दी गई। इस कारण पश्चातवर्ती नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिये कि अपीलार्थी के पिता कन्हैयालाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 18–5–93 को अशोक कुमार एवं भगवती देवी के नाम स्वीकार किया गया था जिसे कभी भी प्रत्यर्थी द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई। इस कारण अपीलार्थी की माता की मृत्यु होने के पश्चात माता भगवती देवी की विरासत बाबत जो नामान्तरकरण स्वीकार किया गया उसे चुनौती दिया जाना किसी प्रकार से विधिसम्मत नहीं था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसी नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 2–10–99 में वर्णित भूमि के अधिकारों बाबत एक वाद प्रत्यर्थी संख्या 1 उर्मिला द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस प्रकार जो अनुतोष नियमित वाद के जरिये प्राप्त करने की प्रार्थना की गई थी। इसी अनुतोष बाबत समानान्तर नामान्तरकरण की अपील किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं थी क्योंकि नियमित वाद में सुनवाई के द्वारा न्यायालय पक्षकारों की साक्ष्य लेखबद्ध कर दस्तावेजी साक्ष्य ग्रहण कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में समस्त वाद बिन्दुओं का निस्तारण कर कई प्रकार के जटिल प्रश्न जो भूमि के भौतिक धारण विरासत रूल ऑट स्टोपल आदि के बारे में उठाये जाते है तथा वाद की सुनवाई कर विवाद का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव होता है जबकि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में ऐसा किया जाना संभव नहीं है। जब अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष यह तथ्य पूर्णतया सबित था कि प्रत्यर्थी द्वारा अधिकारों की घोषणा बाबत जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह लम्बित है इसके बावजूद भी नामान्तरकरण की कार्यवाही बाबत अपील को निस्तारित कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां नियमित वाद पक्षकारें के अधिकारों बाबत लम्बित हो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिए। उक्त कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2011 पृष्ठ 559, आर.बी.जे. 2013 पृष्ठ 1, आर.बी.जे. 2006 पृष्ठ 366, आरबी.जे. 2009 पृष्ठ 800, आर.बी.जे. 2009 पृष्ठ 428 की नजीरे प्रस्तुत कर इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि दिनांक 18–5–1993 को अपीलार्थी के पिता कन्हैयालाल की मृत्यु हुई उस दौरान विरासत का नामान्तरकरण संख्या 146 अशोक कुमार व भगवती देवी के नाम स्वीकार किया गया जिसे सही मानने व चुनौती नहीं देने बाबत भगवती देवी की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तरकरण स्वीकार किया गया उसे चुनौती देने का प्रत्यर्थी संख्या 1 को कोई अधिकार शेष नहीं रहा इस कारण पश्चातवर्ती नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील सुनवाई योग्य नहीं होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायलय ने इस बिन्दु को नजरअन्दाज किया कि जो भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित है उक्त भूमि पर एक मात्र भौतिक कब्जा अपीलार्थी का है तथा उक्त भूमि पूर्व में कई लोगों के शामलाती खाते में अंकित थी तथा विवादग्रस्त आराजियात बाबत राजस्व वाद संख्या 29/2003 अपीलार्थी द्वारा सहायक कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा उक्त न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–7–2003 के अनुसरण में भूमि अपीलार्थी के अलग खाते में अंकित की गई। इस प्रकार अंतिम डिक्री की पालना हो चुकी है ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा समस्त तथ्यों की जानकारी नहीं होने का कथन अपील में मनमाने कथन के आधार पर अंकित कर जो अपील प्रस्तुत की वह न तो संधारण योग्य थी न ही विलम्ब क्षमा किये जाने का कोई आधार उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर निर्णय करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र इसी बिन्दु पर अपना निर्णय आधारित कर जो आदेश पारित किया है वह अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त कथन के समर्थन में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आर.बी.जे. 2016 पेज 572 की नजीर प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2009 निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी –1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि विवादग्रस्त आराजियात के रेकार्डेड खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पिता कन्हैयालाल के नाम दर्ज थी व उक्त भूमि कन्हैयालाल की पुश्तैनी आराजियात थी जिसमें श्रीमति उर्मिला व सुर्मिला हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 के तहत प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से प्राप्त करने की अधिकारी थी। परन्तु ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा गैर कानूनी रूप से विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण अशोक कुमार पुत्र कन्हैयालाल अकेले के नाम नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 2–10–99 तस्दीक करगैर कानूनी आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 कन्हैयालाल की जायन्दा पुत्री होने से व बरवक्त नामान्तरकरण खोलने उर्मिला को कोई नोटिस जारी नहीं किया व बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अशोक कुमार के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने से उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील पेश की जिसे स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 2–10–99 को निरस्त कर तहसीलदार, अजमेरको प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित

किया है कि वे संबंधित को समुचित सुनवाई का अवसर देकर बाद जांच के नये सिरे से निर्णय पारित करने आदेश दिये गये है ,जो विधिसम्मत है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः उर्मिला व सुर्मिला कन्हैयालाल की जायन्दा पुत्री है इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत कन्हैयालाल की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से विवादग्रस्त आराजियात में उर्मिला व सुर्मिला का हिस्सा निहित है। ग्राम पंचायत द्वारा खोले गए नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी में निहित है इसलिए विपक्षीगणों का कथन नियमों के विपरीत होने से अपील निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी का कथन कि नामान्तरकरण संख्या 126 से पूर्व के नामान्तरकरण संख्या 146 दिनांक 18–5–1993 को चुनौती नहीं दी गयी है। चूंकि उक्त नामान्तरकरण भगवती देवी की विरासत का नामान्तरकरण था जिसकों चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवादित आराजी कन्हैयालाल के नाम खाता संख्या 112 के रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा भंवरलाल, कन्हैयालाल, आसू, सुवालाल, पुष्कर नारायण के नाम अंकित है। इस प्रकार उर्मिला के पिता का 1/2 हिस्से में से 1/5 हिस्सा बनता है व खाता संख्या 113 रकबा 35 बीघा 3 बिस्वा में से उर्मिला के पिता का 1/5 हिस्सा बनता है अर्थात कन्हैयालाल के बाद उनकी सम्पत्ति में उर्मिला व सुर्मिला 1/3 हिस्से की अधिकारिणी है। इसके बावजूद भी गैर कानूनी रूप से कन्हैयालाल की विरासत अकेले अपीलार्थी अशोक कुमार ने अपने नाम दर्ज करवा ली और अशोक कुमार उर्मिला की सम्पत्ति को रहन, बय मुंतकिल करने पर सख्त आमादा हो गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अकेले अशोक कुमार के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला जा सकता था। प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा एक राजस्व वाद सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है इसलिए उक्त अपील को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2009 को निरस्त कर राजस्व वाद में पारित निर्णय अनुसार कार्यवाही करने बाबत निवेदन किया है। चूंकि सर्वप्रथम यहां यह कहना उचित होगा कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में उपरोक्त कथन के बाबत अपने अपील मीमों में कहीं भी कोई शब्द अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी लिखित बहस के माध्यम से यह कथन नहीं उठा सकता कि राजस्व वाद के निस्तारण के अनुरूप ही राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे। चूंकि अपीलार्थी ने जो अपील प्रस्तुत की है उस अपील मीमों में अपने मीमों के आधारों में ऐसा कोई आधार अंकित नहीं किया है इसलिए कानूनन आदेश 41 नियम 2 (ए) सीपीसी के विरूद्ध जाकर न तो श्रीमान् न्यायलय कोई निर्णय पारित कर सकता है व ना ही विपक्षी उपरोक्त उजरात श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए अपीलार्थी के कथन कानून के विपरीत होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी का कथन कि नियमित वाद पक्षकारों के मध्य लम्बित हो तो नामान्तरकरण की कार्यवाही को लम्बित रखा जाना चाहिए। चूंकि विवादित आराजी मुतनाजा रेस्पोन्डेन्ट की पैतृक आराजी होने से रेस्पोन्डेन्ट का उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात में जन्म से अधिकार निहित है व कानूनन नियमित वाद के विचाराधीन रहते अगर माननीय न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–10–2009 को निरस्त कर दिया जाता है तो अपीलार्थी को विवादग्रसत आराजियात में से रहन बेचान व मुंतकिल करने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा जो कि कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता है। राजस्व वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु अपीलार्थी की अपील इस स्तर पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित आदेश की पूर्ण जानकारी थी। अपीलार्थी द्वारा धारा –5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों पर आधारित होने से व झूठे शपथ पत्र पेश किये जाने से विपक्षी की अपील धारा –5 मियाद अधिनियम पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम बांसेली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 812, 813, 833, 816, 814, 834 विवादग्रस्त आराजियात जो कि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें से कन्हैयालाल के नाम खाता संख्या 112 के रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा में से 1/5 हिस्सा भंवरलाल, कन्हैयालाल, आसू, सुवालाल, पुष्कर नारायण के नाम अंकित है। विवादग्रस्त आराजियात मे से 1/2 हिस्सा श्री कन्हैयालाल का है। चूंकि अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 भाई–बहन है। अपीलार्थी अशोक कुमार ने सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर विवादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण अकेले अपने नाम करवा लिया। सरपंच ग्राम पंचायत देवनगर द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व विधिक वारिसानों की जांच नहीं की। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस है, उन्हें ही उक्त विवादग्रस्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील में सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया, ना ही उन्हें पक्षकार बनाया गया जबकि वे प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है।

विवादग्रस्त आराजियात पैतृक सम्पत्ति है जिसमें उनका भी बराबर का हक व अधिकार निहित है। नामान्तरकरण कार्यवाही जो एक फिस्कल प्रोसिडिंग है, से किसी के हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अभिभाषक ने पक्षकारान के मध्य राजस्व वाद होना बताया है तो अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद के जरिये उत्तराधिकार के बिन्दु को तय कराया जा सकता है तथा उसमे पारित निर्णय अनुसार पुनः कार्यवाही की जा सकती है। अतः उक्तानुसार हमें अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) अजमेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–10–2009 विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की अपील सारहीन होने के कारण निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21–10–2009 अन्तर्गत अपील संख्या 08/2006 बउनवानी उर्मिला बनाम अशोक व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:29:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: